संख्या-41/2016/ 1363/38-4-16-05(बजट)/2012

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर,2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

कृपया लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-34/2016/ 1130/38-4-16-05(बजट)/ 2012 , दिनांक 02 सितम्बर,2016 के क्रम में अपने पत्र संख्या-1090/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2016(37) दिनांक 28-09-2016 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर के पत्र दिनांक 21.09.2016 में की गयी जिज्ञासाओं/पृच्छाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 02.09.2016 द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के संबंध में की गयी जिज्ञासाओं/पृच्छाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

क्र0	जिज्ञासाएं/पृच्छाएं	समाधान
1	शासनादेश के बिन्दु-1 में प्रत्येक लोहिया ग्राम में अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया आवास आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि जनपद में चयनित 28 ग्रामों में अधिकांश ग्रामों के अन्तर्गत 25 लाभार्थी आवास हेतु पात्र नहीं मिले हैं, जिनका लक्ष्य जनपद पर शेष रहता है। क्या उक्त अवशेष लक्ष्य को समर्पित किया जाना है?	यदि जनपद के समग्र गांवों हेतु अनिवार्य कोटे से निर्धारित 25 आवासों के लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी विगत वर्ष के शासनादेश संख्याः-30/2015/1138/ 38-4-15-05(बजट)/2012, दिनांक 14.09.2015 के प्रस्तर-2 (ग) की व्यवस्था की भांति जिलाधिकारी के निवर्तन पर आवंटित होंगे। जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गए आवास सामान्य ग्रामों में भी आवंटित किये जा सकते हैं।
2	शासनादेश के बिन्दु-2 में मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव अपने नोडल जनपद के जिलाधिकारी को दिये जाने हैं। उ0प्र0 विधान परिषद हेतु मनोनीत मा0 सदस्यगणों का नोडल जनपद कौन सा माना जायेगा?	मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु मनोनीत मा0 सदस्यगणों द्वारा अपनी विधायक निधि हेतु जिस जनपद को नोडल जनपद घोषित किया गया है। वही जनपद लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु नोडल जनपद के रूप में होना चाहिए। मा0 सदस्य उसी जिले के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएंगे।
3	जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये 10 प्रतिशत आवासों से मा0 विधायकगण/मा0 सदस्यगण विधान परिषद के प्रस्ताव पर आवास	जिलाधिकारी के निवर्तन में रखे गये 10 प्रतिशत आवासों से मा0 सदस्यगण, विधान परिषद/ विधान सभा के प्रस्तावानुसार 10-10 आवासों के आवंटन हेतु यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	आवंटन के उपरांत यदि आवास कम पड़ते हैं, तो क्या उन्हें समग्र ग्रामों में आवास आवंटन के उपरांत बचत से पूरा किया जा सकता है?	जनपद में आवास कम पड़ते हैं, तो समग्र ग्रामों में अनिवार्य कोटे से आवंटित होने वाले अधिकतम 25 आवासों की संख्या में से यदि (लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण) आवास बचते हैं, तो उस बचत से कमी को पूरा किया जा सकता है और यदि अनिवार्य कोटे से कोई आवास नहीं बचते हैं, तो शासनादेश दिनांक 02.09.2016 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 (क) के अनुसार लक्ष्यों में वृद्धि का प्रस्ताव जनपद द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि किसी जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष पूरे जनपद में पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते, तो पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन के पश्चात अवशेष लक्ष्य मुख्यालय पर समर्पित किये जायेंगे।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार स्पष्ट की गयी स्थिति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-41/2016/ 1363(1)/38-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10-समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12-समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
15-नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in